भारत सरकारआर्थिक कार्य विभागवित्‍त मंत्रालय

**राज्‍य सभाअतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 688**

(जिसका उत्‍तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाने वाला है)

**सिक्‍कों का निर्माण**

688. श्री पुरूषोत्‍तम खोडाभाई रूपाला:

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

|  |  |
| --- | --- |
| **(क)** | मंत्रालय द्वारा हमारी भारतीय मुद्रा को द्विरावृत्‍ति से बचाने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा उपाय किए गए हैं; |
| **(ख)** | इस तथ्‍य के मद्देनजर की कई व्‍यापारी और जनता सिक्‍कों की कमी के कारण काले बाजार से सिक्‍के खरीद रहे हैं, सरकार द्वारा क्‍या कार्रवाई की गई है; |
| **(ग)** | क्‍या सरकार सिक्‍कों के निर्माण में वृत्द्धि करने की प्रक्रिया में है; और |
| **(घ)** | क्‍या सरकार गुजरात में मुद्रा मुद्रण इकाई और सिक्‍के विनिर्माण इकाई स्‍थापित करने जा रही है? |

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)**

(क) जाली भारतीय करेन्सी नोटों की समस्या के बहु-आयामी पहलुओं से निपटने के लिए, विभिन्न एजेंसियां जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र और राज्यों की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आदि एक साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि जाली भारतीय करेन्सी नोटों के अवैध क्रियाकलापों को रोका जा सके। इन एजेंसियों के कार्य की आवधिक समीक्षा इस उद्देश्य के लिए गठित नोडल समूह (एफसीओआरडी) द्वारा की जाती है। एफसीओआरडी (एफआईसीएन समन्वय प्रकोष्ठ) विश्व में जाली भारतीय करेंसी नोटों के चलन/तस्करी के संबंध में सभी उपलब्ध जानकारी/आसूचना का समन्वय/आदान-प्रदान करता है और उसका विश्लेषण करता है। कार्यात्मक स्तर पर, राज्यों से समन्वय के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है तथा राजस्व आसूचना महानिदेशालय को इस प्रयोजनार्थ अग्रणी आसूचना एजेंसी के रुप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को इस समस्या से निपटने के लिए इस प्रकार के अपराधों की जांच करने तथा अभियोजन चलाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। सरकार ने आतंकवादी वित्त-पोषण तथा जाली करेंसी के मामलों की जाँच पर ध्यान देने के लिए 2010 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में आतंकवादी वित्तपोषण एवं जाली करेंसी प्रतिषेध प्रकोष्‍ठ (टीएफएफसी) की स्थापना भी की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जाली नोटों की पहचान किए जाने से संबंधित तंत्र को भी सुदृढ़ किया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक सिक्‍कों को, जो भारत सरकार की टकसालों से प्राप्‍त होते हैं, अपने काउंटरों के जरिए तथा बैंकों की शाखाओं की करेंसी तिजोरियों में विप्रेषण भेजकर वितरित करता है, जो बाद में अपने काउंटरों तथा अन्‍य शाखाओं, जो आगे अन्‍य शाखाओं से जुड़ी हुई है, के काउंटरों से इन सिक्‍कों को जारी करने का प्रबंध करते हैं।

इसके अतिरिक्‍त थोक प्रयोक्‍ताओं अर्थात् फुटकर व्‍यापारी, व्‍यापार निकाय/संघ, वाणिज्‍य मंडल, आदि को उनके प्रत्‍यय पत्र सुनिश्‍चित करने के बाद, आरबीआई अथवा किसी बैंक की शाखा से सिक्‍के प्रदान किए जाते हैं।

रिजर्व बैंक में सिक्‍कों की कमी/कालाबाजारी/ जमाखोरी से संबंधित लोगों से प्राप्‍त कोई भी शिकायत इस सलाह के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में भेजी दी जाती है कि वह गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करें तथा उपयुक्‍त अनुवर्ती कार्रवाई करें। क्षेत्रीय कार्यालयों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सिक्‍कों की कालाबाजारी/जमाखोरी वाले मामलों में आवश्‍यक अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाएं।

इसके अतिरिक्‍त, यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंक नोटों और सिक्‍कों का वितरण केवल करेंसी तिजोरियों/ बैंक शाखाओं के जरिए ही सरणीबद्ध किए जाएं ताकि ग्राहकों को संबंधित सेवाएं तुरंत उपलब्‍ध हो सकें। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी वितरण प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाएं ताकि आम आदमी की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(ग) करेंसी सिक्‍कों के निर्माण हेतु नीति की समीक्षा एक गतिशील व सतत प्रक्रिया है जिसका विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार पालन किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।